इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 629] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 नवम्बर 2017—अग्रहायण 3, शक 1939

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2017

क्र. एफ 16-9-2017-बाईस-पं-2.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 91 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत (अपील तथा पुनरीक्षण) नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में दिनांक 27 अक्टूबर 2017 को पूर्व प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 में,—

(1) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(खक) अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के किसी उपबंध के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में—संभागीय आयुक्त को;'';

(2) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(घक) संभागीय अतिरिक्त आयुक्त तथा अतिरिक्त कलेक्टर, जिला को अपील सुनने का अधिकार नहीं होगा.''.

3. ये संशोधन इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

No. F.16-9-2017-XXII-P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with Section 91 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Panchayat (Appeal and Revision) Rules, 1995 which has been previously published in the "Madhya Pradesh Gazette", dated 27th October 2017 as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 3,—

(i) after clause (b) the following clause shall be inserted, namely:—

"(ba) in case of an order passed by the Chief Executive Officer of Zila Panchayat under any provisions of the Act or Rules or Bye-laws made thereunder—to the Divisional Commissioner;";

(ii) after clause (d), the following clause shall be added, namely:—

(da) The Additional Divisional Commissioner and the Additional Collector of the district shall not have the powers to hear appeal under this rule.".

3. These amendment shall come into force from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.